(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 95 / 2016 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2015 / 00320

1. चन्द्रभान पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

........................प्रार्थी

– ब ना म –

1. सुरेन्द्रपाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. वीरसिंह पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. रतना देवी पत्नी बलबीर जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. जानकी देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. बलबीर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
6. चिंरजी पुत्र पौकर जाति जांगिड़ ब्राहमण निवासी रायली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
7. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

............................अनावेदकगण

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री मुकेश चौधरी अ...

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री ... चौधरी अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:11 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः—95 / 2016
चन्द्रभान बनाम सुरेन्द्रपाल आदि
निर्णय दिनांकः— 11.07.2024

दिनांक :— ....

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के ख0 न0 223 / 2 रकबा 0.38 है0, ख0 न0 710 / 223 रकबा 0.70 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 है0, का खातेदार कास्तकार प्रार्थी है।
2. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि ख0 न0 212 के दक्षिणी कौने में से एक प्रचलित रास्ता है जो करिब 100—150 साल वर्ष पुराना है उक्त रास्ता गॉव कुहाड़वास से ग्राम डालनवास हरियाणा में जाता है इस रास्ते पर करिब 5—6 ढाणीया बसी हुई है चूकि इस क्षेत्र में लोग पशुपालन व खेती बाड़ी के लिए अपनी अपनी खातेदारी भूमि में मकानात बना कर रह रहे है तथा सभी इसी प्रचलित रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है प्रार्थी भी इसी प्रचलित रास्ते से होते हुए ख0 न0 212 में पूर्वी मेढ के सहारे सहारे अपनी भूमि ख0 न0 710 / 223 में आवागमन करता है।
3. यह कि प्रार्थी को अपनी भूमि ख0 न0 710 / 223 में आने जाने के लिए कास्त करते समय ट्रेक्टर ट्राली ले जाने के लिए व फसल पकने पर उसे अपने घर ले जाने के लिए 10 फुट चौड़ा रास्ते की आवश्यकता है पूर्व में भी इस प्रचलित रास्ते से होते हुए आगे चलकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि ख0 न0 212 के पूर्वी मेढ के सहारे सहारे उतर से दक्षिण तक अपनी भूमि में आने के लिए इस रास्ते का उपयोग करते रहे है तथा प्रार्थी के खेत में जाने के लिए यही सबसे निकटतम रास्ता है।
4. यह कि प्रार्थी की भूमि ख0 न0 710 / 223 के परिचम उतरी कौने पर अप्रार्थीगण की भूमि ख0 न0 212 लगती है वहा अप्रार्थीगण समय समय पर अवरोध पैदा करते रहते है जिससे प्रार्थी को अपने खेत में कृषि करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा अप्रार्थीगण के अवरोध करने से प्रार्थी अपने कृषि भूमि में समय पर कृषि नहीं कर पाता है इसलिए प्रार्थी को अनावेदक की भूमि हाल ख0 न0 212 में अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए 10 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है ताकि प्रार्थी अपनी भूमि की जुताई के लिए व फसल कटाई कर अपनी ट्रेक्टर, गाड़ी में भर कर अपने घर ला सके।
5. यह कि प्रार्थी उक्त रास्ते के बदले में धारा 251(क) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तयशुद्वा राशि अदा करने के लिए तत्पर है।
6. यह कि प्रार्थी प्रचलित रास्ते जो कुहाड़वास से चलकर अन्य खातेदारी की भूमि में से होता हुआ ख0 न0 212 के दक्षिणी पूर्वी कौने से होता हुआ जाता है उसमें से प्रार्थीगण की भूमि ख0 न0 710 / 223 में जाने के लिए संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार 10 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने की आवश्यकता है [illegible] नक्शा आवेदन का भाग रहेगा। नजरी नक्शे में रास्ते को लाल [illegible]
7. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को प्रा[illegible] अपने खेत में से पाईप लाईन दबाने की इजाजत दे रखी है ताकि अपने खो स[illegible] प्रार्थी इस रास्ते का उपभोग कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सके। लेकिन उक्त रास्ता कटानी नहीं होने की वजह से प्रार्थी को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है सावधि है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

यह कि ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना में स्थित भूमि ख0 न0 710/223 में जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि ख0 न0 212 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे प्रचलित रास्ते तक नजरी नक्शे के अनुसार 10 फुट चौड़ा रास्ता कायत कर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 1 लगातय 6 की और से श्री महावीर चौधरी एड द्वारा जवाब पेश किया गया है।

(3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 11 दिनांक 01.01. 2019 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 635 दिनांक 08. 02.2021 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की —

(1) ग्राम कुहाड़वास के मुक्दमा नम्बर 95/2016 के भुजा व आकोष्म को देखा गया प्रार्थी के खेत से निकटवर्ती ख0 न0 212 में से प्रचलित रास्ता गुजरता है जो प्रार्थी के खेत से 15 मीटर दूरी पर है। (2) कटानी रास्ता 348 प्रार्थी के खेत से 282 मीटर की दूरी पर है जो खसरा नम्बर 708/223 , 223, 871/217 से होकर दिया जा सकता है।

(2) प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दू से आवेदक की भूमि तक रास्ते को सीमांकित / दर्शित मार्ग निकटतम व लघुतम है। प्रार्थी ने ख0 न0 710/223 में आने जाने हेतु ख0 न0 212 में से रास्ता चाहा है जिसमें मौका रिपोर्ट करने पर राजस्व नक्शा से अवलोकन पर सबसे कम दूरी का प्रस्तावित आम रास्ता ख0 न0 212 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 15 मीटर दूरी का लम्बा होने निकटतम है।

(3) नजरी के नक्शा के साथ प्रस्तावित कटानी रास्ते का नापः— कटानी रास्ता 348 प्रार्थी के खेत से 282 मीटर की दुरी पर है। जो खसरा नम्बर 708/223 , 223, 871/217 से होकर दिया जा सकता है। इस रास्ते में कोई पेड या पक्का निर्माण नही है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रचलित रास्ता को जो लगभग 100 वर्ष पुराना बताया गया है तथा आस पास के सभी काश्तकार व गांव वाले लोग भी कर रहे है बताया गया है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव व आवेदन पत्र भी संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, के आधार पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार, आधार पर प्रार्थी ख0 न0 710/223 में आने जाने हेतु रिपोर्ट अनुसार प्रचलित रास्ता मार्ग से 10 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के ख0 न0 212 के पूर्वी सीमा के सहारे रास्ता दिया जाता है। प्रार्थी जिसके बदले में अप्रार्थी को डी.एल.सी का दुगुना भुगतान करे। तहसीलदार राशि की गणना निर्णय के 15 दिवस में करना सुनिश्चित करे। रास्ता सार्वजनिक रास्ता होगा जो कि सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज होगा ।

आदेश

''न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाड़वास में स्थित भूमि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, के आधार पर प्रार्थी को स्वयं के खसरा नं0 710/223 में जाने हेतु अनावेदक की भूमि ख0 न0 212 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 10 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाता है। जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख से दर्शाया गया है। जिसको रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में ''सार्वजनिक रास्ते'' के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम कुहाड़वास की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे''।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/07/24 को मेरे [illegible] लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित स[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:11 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना